औषधि नियंत्रण सगंठन
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,जयपुर।

क्रमांकः डीसी/ए–2/2017/ 595 दिनांकः 29/9/17

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,
राजस्थान,

विषयः औषधियों के विकय हेतु ऑन लाईन लाईसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः प्रशिक्षण दिनांक 13.09.2017 व ऑन लाईन लाईसेन्स जारी करने की प्रकिया का शुभारम्भ दिनांकः 17.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भ के क्रम में लेख है कि औषधियों के विकय हेतु प्रथम चरण में निम्न तीन सर्विसेज के लिये ऑन लाईन लाईसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 13.09.2017 को आप सभी को मय कम्प्यूटर आपरेटर व प्रत्येक जिले के सम्बन्धित केमिस्ट तथा उनके स्तर से नामित कम्प्यूटर आपरेटरों को जयपुर में प्रशिक्षण दिया गया तथा ऑन लाईन लाईसेन्स जारी करने की प्रकिया का शुभारम्भ दिनांक 17.09.2017 को किया गया।

(1) खुदरा औषधि विक्रय
(2) थोक औषधि विक्रय
(3) खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय

ऑन लाईन लाईसेन्स जारी करने की प्रक्रिया के नये होने व इस प्रकिया को प्रायोगिक रूप से पूर्णतः अपनाने में आने वाली कठिनाईयों व एक नई प्रकिया को सभी सम्बन्धितों के स्तर पर समझने के उददेश्य से वर्तमान में दिनांक 17.09.2017 से अब तक ऑफलाईन लाईसेन्स भी जारी हुये व काफी मात्रा में ऑन लाईन लाईसेन्स विभिन्न जिलों में जारी हुये।

अब आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 10.10.2017 के बाद अर्थात दिनांक 11.10.2017 से उपरोक्त तीन सर्विसेज के लिये केवल मात्र ऑन लाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावें। इस हेतु आप सभी अपने स्तर से जिले की केमिस्ट एसोसियेशन व औषधि विकेताओं के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार भी करावें।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.10.2017 से किसी भी जिले में औषधियों के विकय हेतु उपरोक्त तीन सर्विसेज के लिये यदि ऑफ लाईन जारी किया जाना पाया गया तो सम्बन्धित जिले के सहायक औषधि नियंत्रक ही व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। यदि किसी तकनीकी कारणों या कोई विशेष युक्ति–युक्त कारण से ऑफ लाईन लाईसेंस जारी किये जाने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाना आवशयक हो तो सम्बन्धित जिले के सहायक औषधि नियंत्रक के स्तर से ऐसी परिस्थिति से लिखित में संगठन को अवगत कराते हुये अद्योहस्ताक्षरकर्ता से लिखित में अनुमति प्राप्त की जावे।

29/9/2017

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(1) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
(2) निदेशक (जन0स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
(3) औषधि नियंत्रक, द्वितीय, राजस्थान,जयपुर।
(4) अध्यक्ष, राजस्थान केमिस्ट एसोसियेशन, राजस्थान, जयपुर।
(5) समस्त जिला केमिस्ट एसोसियेशन, राजस्थान, जयपुर।
(6) जिला जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय,जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
(7) प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सभी सम्बन्धितों को ई– मेल करावें व विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

29/9/2017

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।